



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09072022-237211  
CG-DL-E-09072022-237211

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2982]  
No. 2982]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 8, 2022/आषाढ़ 17, 1944  
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 8, 2022/ASHADHA 17, 1944

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,  
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)  
(भाण्डागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2022

का.आ. 3133(अ).— भाण्डागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (2007 का 37) की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण, एतद्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में तारीख 31 जनवरी, 2011 में प्रकाशित का.आ. 196(अ) तारीख 31 मार्च, 2011 द्वारा भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् -

उक्त अधिसूचना में,

- (i) क्रम संख्या 14 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।
- (ii) क्रम संख्या 16 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

टिप्पण: मूल अधिसूचना को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खंड-3, उप-खंड(ii) में संख्यांक का.आ. 196(अ), तारीख 31 जनवरी, 2011 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

[फा. सं. टी-21032/1/2020-एनआईसी]

जीतेश शर्मा, निदेशक (प्रशासन एवं वित्त/डब्ल्यूडीआरए)

**MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**

**(Department of Food and Public Distribution)**

(Warehousing Development and Regulatory Authority)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th July, 2022

**S.O. 3133(E).**— In exercise of the powers conferred by section 35 of the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007 (37 of 2007), the Warehousing Development and Regulatory Authority hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, vide number S.O. 196(E), dated the 31<sup>st</sup> January, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 31<sup>st</sup> January, 2011, namely:—

In the said notification,—

(i) serial numbers 14 and the entries relating thereto shall be omitted.

(ii) serial numbers 16 and the entries relating thereto shall be omitted.

[F. No. T-21032/1/2020-NIC]

JEETESH SHARMA, Director (Admin & Fin./WDRA)

**Footnote:** The principle notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 196 (E), dated the 31<sup>st</sup> January, 2011.